


FORM No. III

फर्द अहकाम
(विधम 26)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

जिल्ला जामा समाला देवी चौक
 मा अ.पत्र डी.आई.आई. मुकदमा नं. 87-89/2019 सन् 20

क्रम	हुन्य या कार्यवाही भय लघुतरतापर जज	संख्या व तारीख अहकाम जो हुन्य की तालीम में जारी हुए
1/19	<p>बकील जामी भी सुअर चक्र रार्गी ने एजिट अवातर होकर अ.पत्र डी.आई.आई. पेश किया अर्थात पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाने। बकील जामी की एक पत्रीय बरह सुनी गई। अकारण में डी.आई.आई. के तीनों बिन्दु प्रमाण दुरुमा माला सुनिधा का संतुगत एवं अपूर्णता इति का गगना जाने पर अहबार निषेधाता आगापी तारीख पेश तल एल आराम की जारी की जारी हैं कि अअर्वांगण बाफरलत आरपी ए.नं. 887 व 890 तब अरण डिकरिया में मोका व रिकार्ड की अवाप्ती बतार छें। यह आदेश एरतों पर लागू नहीं होगा। अअर्वांगण की तबनी जरिम सजमत की जाकर पत्रावली दिनांक 26/08/19 को पेश हो। जामी 0-39 2-03 CPC की पालता करें।</p>	
	<p>26/08/19</p> <p>अअरली पेश हुई। बकुनाम अप. अनुपस्थित पीठारीन अधिकारी को अन्य कारों में जास्ता ✓ पअवली पूज आर.अनुसार आईएन देनांक-27/09/19 को पेश हो।ms</p>	
	<p>27/09/19</p> <p>मत्रावली पेश हुई। बकील जामी अनुपस्थित। अकारण में बार-बार आवाज लगाई गई।</p>	

बावजूद आज लगाने वकूलाय उग्रपक्ष अर्थात्
 पदाकारण में से कोई भी दायित्व मकालत
 नहीं साधा है। अतः कार्यवाही उक्त
 उक्त दायिगी एवं मदम पैवी में जारी
 किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शमाह
 होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकरील
 दाखिल दफ़त हो। निर्णय ख़ुले न्यायालय
 में सुनाया गया 



सहायक कलक्टर
 (फारट ट्रेक) खण्डेला